बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–02 / टैक्स (ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42 / 2012 परि0 4362 पटना, दिनांक–1/6/2020

ई–मेल / निबंधित

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव, बिहार ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार ।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।
सभी प्रवर्तन निरीक्षक / प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

विषय :– व्यावसायिक / मालवाहक वाहन तथा ट्रैक्टर–ट्रेलर को पूर्व में दिये गये योजना के अवधि विस्तार से संबंधित अधिसूचना का संसूचन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि फिटनैस के प्रमादी वाहनों के अतिरिक्त फीस में अधिसूचना संख्या–8374, दिनांक–15.11.2019 द्वारा पूर्व में किये गये कमी के अवधि विस्तार से संबंधित बिहार गजट (असाधारण अंक) की **अधिसूचना संख्या–4347, दिनांक–01 जून, 2020** की प्रति संलग्न करते हुए आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना से अनुरोध है कि उपर्युक्त संशोधन के आलोक में अविलंब प्रयुक्त सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा करें।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ke 1/6

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02 / टैक्स (ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42 / 2012 परि0 4362 पटना, दिनांक– 1/6/2020

प्रतिलिपि – मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ke 1/6

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02 / टैक्स (ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42 / 2012 परि0 4362 पटना, दिनांक– 1/6/2020

प्रतिलिपि – मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ke 1/6

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E:\RAJEEV SIR\Amnesty Extention New-22.01.20.docx

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 336) पटना, सोमवार, 1 जून 2020

परिवहन विभाग

अधिसूचना
1 जून 2020

सं० 02/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012–4347/परि0—बिहार सरकार, परिवहन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–8374, दिनांक–15.11.2019 द्वारा फिटनैस प्रमाण–पत्र के वैधता की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटा दिया गया है, जो दिनांक 12.02.2020 तक प्रभावी था, को पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरुप इस अधिसूचना के बिहार गजट के प्रकाशन की तिथि से दिनांक–30.09.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

2. इस योजना का लाभ बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक फिटनैस प्रमादी वाहनों पर ही लागू होगा।

3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 1st June 2020

No.02/Tax(Tractor-trailer amnesty)-42/2012-4347—Notification no.-8374 dated 15.11.2019 issued by the Transport Department, Government of Bihar to decrease the late fee of 50 rupees for every day after the expiry of the fitness certificate, which was effective upto-12.02.2020, is hereby extended from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette upto 30.09.2020 subject to the conditions determined earlier.

2. Only those vehicles would avail its benefit which would be Fitness Fee defaulter till the date of publication of this notification in the Bihar Gazette.

3. This notification shall be effective from the date of its publication in the Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 336-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in